न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0–2, बरेली।

परिवाद सं0–831/2022

श्रीमती हरदेई बनाम छेदालाल आदि।
थाना–किला
जिला–बरेली।

<u>दिनांक–04.08.2023</u>

पत्रावली पेश हुयी। बार–बार पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित है कि परिवादिनी विगत काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रही है। पत्रावली विगत कई तिथियों से साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 के स्तर पर चल रही है। परिवादिनी को पूर्व की तिथि पर अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी की परिवाद को चलाने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं.प्र.सं. में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 में खारिज किया जाता है। तत्पश्चात् पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(साधना कुमारी गुप्ता)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–2, बरेली।